


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.06.2025	<p>प्रार्थी वकील के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज तलब की गई।</p> <p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काशत करता आ रहा है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उत्तारू रहते हैं। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।</p> <p>लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम महेशनगर तहसील समदड़ी के खसरा संख्या 395/3 रकबा 05.9974 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदड़ी को 2000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदड़ी को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) </p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

क्रमांक: वाद / 2025 / 1463

दिनांक : 23-06-2025

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

दौलतराम रोपिया पुत्र दाउलाल
जाति कुम्हार निवासी सरदारपुरा
बी रोड खाडियावासा जोधपुर

महेन्द्रसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति
राजपूत निवासी महेशनगर वगैरह

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम
पैमाईश जरिये पत्थर गद्दी

राजस्व आवेदन सं:-110/2025

दिनांक:-20.06.2025

—:: आदेश ::—

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम महेशनगर तहसील समदड़ी के खसरा संख्या 395/3 रकबा 05.9974 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदड़ी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रूपये 2000/- प्रार्थी अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

दिनांक : 23-06-2025

क्रमांक: वाद / 2025 / 1464-1467

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. तहसीलदार समदड़ी
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना समदड़ी
3. हल्का पटवारी रामपुरा को तहसीलदार समदड़ी द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकॉर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी श्री दौलतराम रोपिया पुत्र दाउलाल जाति कुम्हार निवासी सरदारपुरा बी रोड खाडियावास जोधपुर जिला जोधपुर को सूचनार्थ



उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)